

देश देशांतर: भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग के गठन के संदर्भ में मसौदा

संदर्भ एवं पृष्ठभूमि

उच्च शिक्षा प्रणाली के द्वारा ही किसी देश के मानव संसाधन का बेहतर विकास होता है, शोध एवं विकास के क्षेत्र में नवाचार होते हैं तथा देश में कौशल विकास का मार्ग प्रशस्त होता है।

- हाल ही में उच्च शिक्षा का स्तर बढ़ाने और उसकी नगिरानी के लिये मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) को खत्म कर एक नए संस्थान भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग (HECI) को लाने के लिये मसौदा जारी किया गया है।
- इस संदर्भ में मंत्रालय द्वारा शिक्षाविदों, हतिधारकों और आम जनता से टिप्पणियाँ और सुझाव मांगे गए हैं।
- UGC को भंग करके उसकी जगह HECI के गठन का सुझाव मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत 2014 में गठित 4 सदस्यीय हरी गौतम समिति द्वारा दिया गया था।
- पूर्व में प्रो. यशपाल समिति ने भी इसी प्रकार की सफारिशें की थीं जिसमें उच्च शिक्षा की सभी प्रमुख नियामक संस्थाओं को एक ही संस्था के तहत काम करने की सफारिश की गई थी। इसके लिये उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान हेतु सात सदस्यों वाला राष्ट्रीय आयोग बनाने का प्रस्ताव था।

स्वतंत्रता पूर्व भारत में शिक्षा का विकास क्रम

- प्राचीन काल में नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला विश्वविद्यालय भारत में उच्च शिक्षा के प्रसिद्ध केंद्र थे, जो न केवल देश भर से बल्कि कोरिया, चीन, बर्मा (अब म्यांमार), सिलोन (अब श्रीलंका), तबिबत और नेपाल जैसे दूरवर्ती देशों से भी छात्रों को आकर्षित करते थे। आज, भारत दुनिया की सबसे बड़ी उच्च शिक्षा प्रणालियों में से एक का प्रबंधन करता है।
- उच्च शिक्षा की वर्तमान प्रणाली 1823 के माउंटसटुअर्ट एल्फिंस्टन की रिपोर्ट से शुरू होती है, जिसने अंग्रेज़ी और यूरोपीय विज्ञान को पढ़ाने के लिये स्कूलों की स्थापना की आवश्यकता पर बल दिया।
- बाद में लॉर्ड मैकाले ने 1835 की अपनी रिपोर्ट में देश के मूल नविसियों को अंग्रेज़ी का अच्छा विद्वान बनाए जाने के प्रयासों की वकालत की।
- 1854 के सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच, जिसे 'भारत में अंग्रेज़ी शिक्षा का मैगना कार्टा' के नाम से जाना जाता है, ने प्राथमिक विद्यालय से लेकर विश्वविद्यालयी शिक्षा तक की उचित ढंग से योजना बनाने की सफारिश की। इसने स्वदेशी शिक्षा को प्रोत्साहित करने और शिक्षा की सुसंगत नीति तैयार करने की योजना बनाई। इसके बाद 1857 में कलकत्ता, बॉम्बे (अब मुंबई) और मद्रास विश्वविद्यालय तथा बाद में 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय स्थापित किये गए।
- इंटर-यूनिवर्सिटी बोर्ड (बाद में भारतीय विश्वविद्यालयों के एसोसिएशन के रूप में जाना गया) की स्थापना 1925 में शिक्षा, संस्कृति, खेल और संबद्ध क्षेत्रों में सूचना एवं सहयोग को साझा करते हुए विश्वविद्यालयी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिये की गई थी।

(टीम दृष्टि इनपुट)

- भारत में शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली तैयार करने का पहला विचार 1944 में 'भारत में युद्ध पश्चात शिक्षा का विकास' विषय पर शिक्षा के केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट के साथ आया, जिसे सार्जेंट रिपोर्ट भी कहा जाता है। इसने विश्वविद्यालय अनुदान समितिके गठन की सफारिश की, जिसे 1945 में अलीगढ़, बनारस और दिल्ली के तीन केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कामकाज की देख-रेख करने के लिये गठित किया गया था। 1947 में समिति को सभी तत्कालीन मौजूदा विश्वविद्यालयों के देख-रेख की ज़िम्मेदारी सौंपी गई थी।

स्वतंत्रता के पश्चात् भारत में शिक्षा का विकास क्रम

- आज़ादी के तुरंत बाद 1948 में डॉ. एस. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में भारतीय विश्वविद्यालयी शिक्षा पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिये और उन सुधारों तथा वसितारों के संबंध में सुझाव देने के लिये जो कविर्तमान एवं भविष्य की ज़रूरतों और देश की आकांक्षाओं के अनुरूप वांछनीय हो सकते हैं, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना की गई थी।
- इसने अनुशंसा की कि यूनाइटेड किंगडम के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सामान्य मॉडल की तरज पर विश्वविद्यालय अनुदान समितिका पुनर्गठन किया जाए जिसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति प्रतिष्ठित शिक्षाविदों में से की जाए।

नए मसौदे का उद्देश्य

- भारतीय उच्चतृतर शकृषा आयोग (वशिववदिवडलड अनुडलन आयोग नरिसन अधनियडड) वधियक, 2018 के तहत UGC अधनियडड को नरिसत करनल डुरसुतलवतल है और इसडें डररतीड उऑऑतृतर शकृषल आयोग की सुथलडनल कल डुरलवधलन कडल गडल है ।
- HECI कल धुडलन अकलडडक डलनकूँ और उऑऑ शकृषल की गुणवतुतल डें सुधलर, सीखने के डरणलडूँ के डलनदंडूँ को नरिदडषलट करने, शकृषण/अनुसंधलन के डलनकूँ को नरिधलरतल करने डर हूंगल ।
- डह डसूडल शकृषल डुरणलली के डडगुर वकलस और उऑऑ शकृषण संसुथलनूँ को अधकल सुवलडतुतल डुरडलन करने के लडल सरकलर की डुरतडलदुधतल के अनुरूड है ।
- डह आवशुडक शूकषक डलनकूँ को डनलए रखने डें वडलल डलए गए संसुथलनूँ को डरलडरश दडल डलने के लडल एक रूडडड डुरडलन करेगल ।

कडल है नडल डसूडल?

- इसडें कलनूनी डुरलवधलनूँ के डलधुडड से अडने डुरैसलूँ को ललगू करने की शकृतल हूंगी ।
- आयोग के डलस अकलडडक गुणवतुतल के डलनदंडूँ के अनुडललन के अधलर डुर अकलडडक डरकललन शुरु करने के लडल अनुडूडन डुरडलन करने की शकृतल हूंगी ।
- डहूँ डलनदंडूँ/वनलडडडूँ के अनुडललन डें इऑऑशकृतल डल नरलरतुर ऑूक कल डलडलल हूे वहूँ उऑऑ शकृषल संसुथलन के अनुडूडन नरिसत करने की शकृतलडल डल डलस कलनून के तहत हूंगी ।
- आयोग को डह अधकलर डल डुरलडुत हूंगल कल वलह ऑलतुरूँ के हतलूँ को डुरडलवतल कडल डनल उन संसुथलनूँ को डंड करने कल आदेश दे सके ऑू कल नलडुनतडड डलनकूँ कल डललन करने डें असडलल रहे हूँ ।
- आयोग उऑऑ शकृषण संसुथलनूँ को इस डलत के लडल डल डुरूतसलहतल करेगल कल वल शकृषल, शकृषण एवं शूध के कषेतर डें सरवूतुतडड डुदुधतडलूँ कल वकलस करूँ ।
- उऑऑ शकृषल डें नडलडक नकलडलूँ, अरुथलतु एआईसीटीई और एनसीटीई के अधुडकषूँ के सहडूऑन दवलरल आयोग को और डलडूडूती डुरडलन की आएगी । इसके अलवल अधुडकषु / उडलधुडकषु और सदसुड, अकलडडक एवं शूध के कषेतर डें डुरतडषलडतल वदलवलन तथल नेतृतुव कल गुण रखने वलले, संसुथल नरलडलण की कषडतलडूँ से डुकृत और उऑऑ शकृषल नीतल वल अडुडलस के डुदूँ की गहरी डडडल रखने वलले हूंगे ।
- वधियक डें दंडलतल करने के डुरलवधलन डल हूंगे, ऑू कल ऑलरणडदुध तुरीके से कलड करूंगे, इनडें उडलधल डल डुरडलण-डुतर ऑलरी करने के अधकलर को वलडस लेनल तथल शूकषकल गतलवधलडलूँ को रूकने कल आदेश देनल शलडलल हूंगल और ऐसे डलडलूँ डें डहूँ डुर ऑलनडूडल कर नडलडूँ कल उलूंडन कडल ऑल रलल है, वहूँ डररतीड अडुरलध संहतल की ऐसे धलरलडूँ के तहत डुकदडल ऑललने कल अधकलर हूंगल ऑलसडें अधकलतडड तूीन वरुष के कलरलवलस की सऑू हूे सकती है ।
- देश डें डलनकूँ के डडनवड और नरिधलरण से संबंधतल डलडलूँ डुर आयोग को सललह देने के लडल एक सललहकलर डुरडलद हूंगी । इसकल डुरतनलधलतल वल उऑऑ शकृषल के लडल रलऑू डुरडलदूँ के अधुडकषूँ/उडलधुडकषूँ दवलरल कडल आएगल और केंदुरीड डलनव संसलधन वकलस डंतुरी दवलरल इसकी अधुडकषुतल की ऑलएगी ।
- आयोग उऑऑ शकृषल संसुथलनूँ दवलरल वसूले ऑलने वलले शुकक के नरिधलरण के लडल डलनदंडूँ और डुरकुरडलडूँ को डल नरिदडषलट करेगल और शकृषल को सडल के लडल वहनीड डनलए ऑलने हेतु उऑऑ ऑलने वलले कदडूँ के डलरे डें केंदुर सरकलर डल रलऑू सरकलरूँ को सललह देगल ।
- आयोग एक रलषुदुरीड डेटल डेस के डलधुडड से ऑूऑलन के उडरते कषेतरूँ के वकलस और सडल कषेतरूँ डें उऑऑ शकृषल संसुथलनूँ के संतुलतल वकलस एवं वशलष रूड से उऑऑ शकृषल डें अकलडडक गुणवतुतल को डदुवल देने से संबंधतल सडल डलडलूँ की नगलरलनी करेगल ।

सरकलर दवलरल कडल ऑल रहे डदलवल कल डंतवुड

- सरकलर कल दखल कड और अधकल कलड: नडलडक के दलडरे को कड करनल । शूकषकल संसुथलनूँ के डुरडंधन डुदूँ डें कूडल हसुतकषेड नहूँ ।
- अनुडलन कलरुडूँ कल डुरथकुरकुरण: अनुडलन कलरुड डलनव संसलधन वकलस डंतुरललड दवलरल कडल ऑलएंगे और HECI केवल अकलडडक डलडलूँ डुर धुडलन केंदुरतल करेगल ।
- नरलकषण रलऑू कल अंत: डलरदरशी सलरुवऑनकल सुऑूनल डुरकटीकरण के डलधुडड से वनलडडडन, उऑऑ शकृषल डें डलनकूँ और गुणवतुतल के संबंध डें डूगुडतल आधलरतल नरलण डुरकुरडल कल डललन ।
- अकलडडक गुणवतुतल डुर धुडलन केंदुरतल करनल: HECI को सीखने के डरणलडूँ डुर वशलष धुडलन देने, संसुथलनूँ दवलरल अकलडडक डुरदरशन कल डूलुडलकन करने, संसुथलनूँ की सललह, शकृषकूँ कल डुरशकृषण, शूकषकल डुरूदुडूगकी के उडडूग को डदुवल देने आदल के सलथ अकलडडक डलनकूँ डें सुधलर करने की ऑूडडेदलरी दी गई है । डह संसुथलनूँ को खूलेने और डंड करने के डलनकूँ को सुथलडतल करने के लडल डलनदंड वकलसतल करेगल, संसुथलनूँ को अधकल लऑूीललडन और सुवलडतुतल डुरडलन करेगल, वशिववदिवडलड के कलसी डल कलनून (रलऑू कलनून सहतल) के तहत शुरु कडल ऑलने के डलवऑूड संसुथलगत सुतर डुर डहतुतुवडुरूण नेतृतुव की सुथतल डें नडुकृतलडलूँ के लडल डलनक नरिधलरतल करेगल ।
- नडलडूँ के डुरवरतन की शकृतलडलूँ: नडलडक के डलस अकलडडक गुणवतुतल डलनकूँ के अनुडललन को ललगू करने की शकृतलडलूँ हूंगी और इसडें घऑूडल एवं डरऑूडी संसुथलनूँ को डंड करने की शकृतल हूंगी । अनुडललन नहूँ कडल ऑलने के डरणलडडसुवरूड ऑूरडलनल डल ऑेल की सऑू हूे सकती है ।

वशिववदिवडलड अनुडलन आयोग

वशिववदिवडलड अनुडलन आयोग (डूऑूसी) 28 दसलंडर, 1953 को असुततलव डें आडल और वशिववदिवडलडली शकृषल डें शकृषण, डुरीकषल और अनुसंधलन के डलनकूँ के डडनवड, नरिधलरण और रखरखलव के लडल 1956 डें संसद के एक अधनलडडड दवलरल डह डररत सरकलर कल एक सलवधलकल संगठन डन गडल ।

डलतुर वशिववदिवडलडलूँ और कूँलेऑूँ को अनुडलन डुरडलन करने के अतरलकलत आयोग केंदुर और रलऑू सरकलरूँ को उऑऑ शकृषल के वकलस हेतु आवशुडक उडलडलूँ डुर सुऑूलव डल देतल है । डह डंगललुरु, डूडलल, गुवलहलटी, हैदुरलडलद, कूलेकलतल और डुणे डें सुथतल अडने 6 कषेतरुीड कलरुडललडूँ के सलथ-सलथ नई दललली सुथतल डुखुडललड से कलरुड करतल है ।

क्यों पड़ रही है UGC को बदलने की ज़रूरत?

- आज़ादी के बाद के वर्षों में उच्च शिक्षा क्षेत्र की संस्थागत क्षमता में अत्यधिक वृद्धि हुई है। विश्वविद्यालयों की संख्या वर्ष 1950 में 20 विश्वविद्यालयों की तुलना में बढ़कर 2018 में 850 हो गई है। कालेजों की संख्या में भी कई गुना वृद्धि दर्ज की गई है जो 1950 में 500 से बढ़कर वर्तमान में लगभग 40,000 से अधिक है। अतः शैक्षणिक संस्थाओं की इतनी बड़ी संख्या होने के कारण UGC के पास कार्यों का अत्यधिक बोझ परलक्षित होता है।
- UGC द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं को अनुदान प्रदान किये जाने और नियमों के वनियमन के समय परदर्शन में काफी अंतर देखा जा रहा था।
- कार्यपालिका और वधायिका की तरफ पर वित्तीय और नगिरानी का कार्य स्वतंत्र संस्थाओं के द्वारा किये जाने से अधिक पारदर्शिता आने की उम्मीद की जाती है जो कभी तक एक ही संस्था अर्थात् UGC के द्वारा ही किया जाता रहा है।
- अभी तक शैक्षणिक संस्थाओं के लिये वित्त का आवंटन मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है जो कि UGC के माध्यम से कॉलेजों और विश्वविद्यालयों तक पहुँचता है, लेकिन नई व्यवस्था के माध्यम से यह वित्त सीधे संस्थाओं तक बना किसी माध्यम के पहुँचेगा।
- आज हम ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था (नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी) में काम कर रहे हैं और जिस तरह के श्रमबल की ज़रूरत है, उस पर हमारी शिक्षा प्रणाली द्वारा गौर नहीं किया जा रहा है। हमारे विश्वविद्यालयों से अधिकतर ऐसे छात्र निकल रहे हैं, जो रोज़गार प्राप्त करने में सक्षम नहीं हैं। हमारे विश्वविद्यालयों और कॉलेजों का उद्योगों से बेहतर तालमेल नहीं है।
- भारत का कोई भी शैक्षणिक संस्थान विश्व स्तर के अनुरूप नहीं है, अतः UGC की नगिरानी प्रणाली पर प्रश्नचिह्न लगते रहे हैं, साथ ही संस्थाओं की रैंकिंग, मूल्यांकन और अन्य मापदंडों ने शिक्षा स्तर में सुधार को अपरिहार्य बना दिया है।

HECI के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ

- शैक्षणिक संस्थाओं की अवस्थिति अलग-अलग राज्यों में है, अब जबकि वित्तीय का अधिकार सीधे केंद्रीय मंत्रालय के पास होगा इससे राज्यों और केंद्र के मध्य राजनैतिक गतिरोध बढ़ेंगे।
- सत्ताधारी दल के बदलने से मंत्रालय की नीतियों में परिवर्तन होना संभव है, अतः राज्य विशेष जहाँ दूसरे दल की सरकार हो वहाँ के शैक्षणिक संस्थाओं पर विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना।
- अनुसंधान गतिविधियाँ भी उच्च स्तरीय नहीं हैं। डीमंड और नज़ी विश्वविद्यालय अपनी मनमानी से चलते हैं। ऐसे विश्वविद्यालय ज़्यादातर राजनीतिक बरिदारी और कॉर्पोरेट घरानों के हैं। नए आयोग को इन पर लगाम लगाने की ज़रूरत होगी।
- वित्तीय और वनियमन का प्रबंध अलग-अलग वनियामकों द्वारा किये जाने से वनियामकों के बीच आवश्यक समन्वय बढ़ाने की आवश्यकता होगी।
- देश में उच्च शिक्षा हासिल करने वाले छात्रों की तादाद 2017 में 3 करोड़ 57 लाख तक पहुँच गई है, जो 2014 के मुकाबले करीब 35 लाख अधिक है। बढ़ती हुई आवश्यकताओं के हिसाब से अवसंरचना एवं विकास के साथ तालमेल बटाने हेतु आयोग को अधिक प्रयास करना होगा।
- उच्च शिक्षा पर जारी वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक 2017 में उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात पहली बार 25 फीसदी से अधिक हुआ है। सरकार का लक्ष्य उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात 2022 तक बढ़ाकर 30 फीसदी करने का है। इस दिशा में आयोग की भूमिका महत्वपूर्ण होगी।

आगे की राह

- हालाँकि अभी मसौदे के तैयार होने और उस पर देश भर के शोधार्थियों, अभिभावकों, शिक्षाविदों व आम लोगों के सुझावों के आने से लेकर और उनके आधार पर परिवर्तन कर सरकार द्वारा बिल को कैबिनेट में रखने, फिर उसके पास होने, तत्पश्चात् संसद में पास होने और अंततः कानून में बदलने के बाद ही भारतीय उच्चतम शिक्षा आयोग का जन्म होगा।
- 1991 के बाद से आर्थिक नीति और उद्योग नीति में तो बहुत परिवर्तन आया है पर इसके समानांतर शिक्षा में परिवर्तन नहीं आया है। इसलिये यहाँ भी सुधार की ज़रूरत है। नियंत्रण की मानसिकता त्यागनी होगी।
- जब से देश स्वतंत्र हुआ है तब से आज तक हमारे देश में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आने के बजाय गरिबत ही आई है और जनि लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये यूजीसी का गठन किया गया था उनको हासिल नहीं किया जा सका है। अतः उच्चतम शिक्षा आयोग को शिक्षा के स्तर को उठाने के लिये व्यापक प्रयास करने होंगे।
- नए मसौदे के अनुसार वित्तीय का कार्य मंत्रालय के पास आ जाने से सरकार को अब शोध के लिये ज़्यादा राशि आवंटित करनी चाहिये। साथ ही आयोग द्वारा की जाने वाली नियुक्तियों और अन्य महत्वपूर्ण मसलों पर राजनीतिक हस्तक्षेप को सीमित करना चाहिये।
- एक तरह से उच्चतम शिक्षा आयोग अब एकल नयिमक संस्था के रूप में अवतरति होगा, जिसमें सभी तरह के विश्वविद्यालयों जैसे- केंद्रीय, राज्य, नज़ी और डीमंड विश्वविद्यालय आदि के लिये एक ही आयोग होगा।
- यही सभी के लिये नयिम तय करेगा और शिक्षा संबंधी वे उत्तरदायित्व जो अब तक मंत्रालय द्वारा नरिहन किये जाते थे, अब उनका नरिहन उच्चतम शिक्षा आयोग करेगा।

नबिकर्ष: HECI-2018 के तैयार मसौदे में शामिल किये गए तथ्य सुनने और पढ़ने में जतिने आदर्शवादी प्रतीत हो रहे हैं, यद्वि उतनी ही वशिद्धता के साथ लागू होते हैं और दीर्घकाल तक बने रहते हैं, तब भारत की उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में आई गरिबत की जगह उन्नत की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। मसौदे पर 7 जुलाई तक सुझाव मांगे गए हैं। इन सुझावों में क्या विचार आएंगे और कतिने शामिल किये जाएंगे, यह अब देखने वाली बात होगी।

